

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि० उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

क्रमांक: ए.1(8)378 / 1 / 2025

दिनांक: 28.12.2025

रीको जो कि राजस्थान सरकार का उपक्रम है, में सहायक स्थल अभियन्ता (सिविल) के 39 पदों पर वैध गेट (GATE) स्कोर के माध्यम से भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

कुल पद	Unreserved (UR)				Backward Class (BC)				Scheduled Caste (SC)				Scheduled Tribe (ST)				Economically Weaker Section (EWS)				More Backward Class (MBC)			
	OC	Gen. Women	Widow	Divorc	OC	Gen. Women	Widow	Divorc	OC	Gen. Women	Widow	Divorc	OC	Gen. Women	Widow	Divorc	OC	Gen. Women	Widow	Divorc	OC	Gen. Women	Widow	Divorc
39	12	02	01	01	05	02	01	-	03	02	-	-	04	-	01	-	03	01	-	-	01	-	-	-
	Horizontal Reservation (b) (D/HH) (Backlog) (1) (c) (LD/CP/ LC/ Dw/ AAV/Mdy), (1) (d) (ASD/ID/SLD/MI)/ (2) MD (involving (a) to (d) above) (1)																							

Abbreviation used : (a) B/LV- Blindness/ Low vision (b) D- Deaf, HH- Hearing Impaired (c) LD- Locomotor Disability, CP- Cerebral Palsy, LC- Leprosy Cured, Dw- Dwarfism, AAV- Acid Attack Victims, MDy- Muscular Dystrophy (d) ASD- Autism Spectrum Disorder (M- Mild, MoD- Moderate), ID- Intellectual Disability, SLD- Specific Learning Disability, MI- Mental illness, (e) MD- Multiple Disabilities involving (a) to (d) above

रीको प्रबन्धन को उपरोक्त उल्लेखित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसके लिये पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

NOTE: THIS EXAMINATION IS BEING CONDUCTED BY IBPS.

(1) विशेष सूचना :—

1. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।
2. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
4. अति पिछड़ा वर्ग के लिए रीको (रिक्रूटमेंट एण्ड सलेक्शन) रूल्स, 1974 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रीको (रिक्रूटमेंट एण्ड सलेक्शन) रूल्स, 1974 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:— विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता/माता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन हेतु अमान्य होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह—विछिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिए पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह—विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिक्तियों आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह—विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह—विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।

7. महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
8. मुस्लिम तलाकशुदा (Divorcee) महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं

साथ ही महिला को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। मुस्लिम महिलाओं के अतिरिक्त अन्य तलाकशुदा महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा तलाकनामे के डिक्री जारी होने पर ही तलाकशुदा श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय होगा।

9. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। **राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।** अतः अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No.1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
12. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
13. **राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018** के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमाक निःशक्तजन (विशेष योग्यजन) की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में **अग्रेषित** की जायेगी एवं उसे The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के प्रावधानों के अनुसार भरा जायेगा।
14. विशेष योग्यजन अभ्यर्थी Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
15. दिव्यांगजन आवेदक में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
16. ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, के द्वारा स्वयं के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
17. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में 'यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हो, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।

(2) वेतनमान/पारिश्रमिक :-

चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति प्रथमतः दो वर्षों के लिए परीक्षा अवधि (Probation Period) के लिये की जायेगी। इस अवधि में उन्हें निम्नानुसार समेकित पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। :

क्र.सं.	पदनाम	पे-मैट्रिक्स	समेकित पारिश्रमिक (रूपये प्रतिमाह)
1.	सहायक स्थल अभियन्ता (सिविल)	लेवल-10	23700/-

उक्त परीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त वेतन नियमित पे-मैट्रिक्स में देय होगा। नियमित वेतन अन्य नियमानुसार देय भत्तों सहित दिया जावेगा।

(3) शैक्षणिक योग्यताएं एवं पात्रता :-

क्र.सं.	पदनाम (Name of Post)	शैक्षणिक योग्यता (Qualification)
1.	सहायक स्थल अभियन्ता (सिविल) Assistant Site Engineer (Civil)	Must have passed Degree in Civil Engineering with a minimum of 60% marks from recognized University.

आवश्यक नोट :-

- अभ्यर्थी को आवेदन करने वाले पद की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होगा।
- अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन में वैध गेट स्कोर प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा।

(4) राष्ट्रियता :-

- भारत का नागरिक हो, या
- नेपाल का प्रजाजन हो, या
- भूटान का प्रजाजन हो, या
- ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
- भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश क्रीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट : परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) आयु सीमा :-

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

यद्यपि अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी :-

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष (Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Section of Rajasthan State)	5 वर्ष (Five Years)
2.	सामान्य वर्ग की महिला (Women Candidates belonging to General Category)	5 वर्ष (Five Years)
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला (Women Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Section of Rajasthan State)	10 वर्ष (Ten Years)

नोट:-

- (1). राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- (2). विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी किन्तु रीको द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति की आयु से नियुक्ति के समय उसकी आयु कम होनी चाहिये।
Explanation :-In the case of widow, she will have to furnish a death certificate of her husband issued by the competent authority and in case of divorcee she will have to furnish the adequate proof in this regard.
- (3). उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (4). कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे-आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्रिटियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

(6) आवेदन अवधि :-

दिनांक 29.12.2025 से दिनांक 27.01.2026 रात्रि 11.59 बजे तक।

(7) आवेदन शुल्क :-

(क)	सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	रु. 700/-
(ख)	राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी हेतु	रु. 525/-
(ग)	समस्त दिव्यांगजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	रु. 350/-

नोट :-

राजस्थान राज्य से बाहर के राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।

(8) चयन प्रक्रिया :-

अभ्यर्थियों का चयन सिविल अभियांत्रिकी में वैध गेट (GATE) स्कोर के माध्यम से किया जायेगा। गेट (GATE) स्कोर आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

(9) आवेदन प्रक्रिया :-

1. उक्त पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी को रीको की वेबसाइट www.riico.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध **Recruitment 2025** link को Click कर Recruitment Portal का चयन करना होगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।
2. अभ्यर्थी www.riico.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाएँ एवं "ऑनलाइन आवेदन करें" के विकल्प पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी।

3. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, "नए पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें" का टैब चयन करें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी अंकित करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या (Provisional Registration Number) और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये संपर्क विवरण एवं ईमेल-आईडी पर सिस्टम द्वारा जारी अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड ईमेल एवं एसएमएस द्वारा अभ्यर्थी को भेजा जायेगा।
4. यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पत्र पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वे "सेव एंड नेक्स्ट" टैब का चयन कर पहले से अंकित किए गए डेटा को सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने और आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" का उपयोग करें। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरना चाहिए और अंतिम रूप से जमा करने से पहले विवरणों की जांच सुनिश्चित कर उन्हें स्वयं या किसी से सत्यापित करवा लेना चाहिए।
5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को स्वयं ध्यानपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि "पंजीकरण पूर्ण करें" बटन (Complete Registration Button) पर क्लिक करने के बाद कोई भी परिवर्तन संभव/स्वीकार्य नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी या उसके पिता/पति आदि का नाम आवेदन पत्र में ठीक उसी वर्तनी में लिखा जाना चाहिए जैसा कि प्रमाणपत्रों/मार्कशीट/पहचान प्रमाण पत्रों आदि में लिखा गया है। कोई भी परिवर्तन/संशोधन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर सकता है।
7. अभ्यर्थी Validate your details की मदद से अपना विवरण को सत्यापित करें एवं Save & Next बटन से अपना आवेदन पत्र सेव (Save) करें।
8. अभ्यर्थी बिंदु 15 में दिये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत फोटो और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करें।
9. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
10. पंजीकरण पूरा करने से पहले अभ्यर्थी पूरे आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन (Preview) और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब (Preview Tab) पर क्लिक करें।
11. यदि आवश्यक हो, तो विवरण संशोधित करें और यह सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद ही 'पंजीकरण पूरा करें' पर क्लिक करें कि आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो, हस्ताक्षर और अन्य विवरण सही हैं।
12. 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
13. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
14. **शुल्क भुगतान (ऑनलाइन मोड) :-**
 - a) आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
 - b) भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टरकार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।
 - c) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। दोहरे शुल्क से बचने के लिए बक (Back) या रिफ्रेश बटन (Refresh Button) न दबाएँ।
 - d) लेनदेन के सफल समापन पर, एक ई-रसीद (e-receipt) जनरेट की जाएगी।
 - e) 'ई-रसीद' न जनरेट होने का अर्थ है भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान न होने पर, दशा में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या (Provisional Registration Number) और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान प्रक्रिया दोहराये।
 - f) अभ्यर्थियों को ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि यदि यह प्रिंटआउट नहीं निकल पाता है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन लेनदेन सफल न हुआ हो।
 - g) क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।
 - h) अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया लेनदेन (Transaction) पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।
 - i) शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण वाले आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है।

15. फोटोग्राफ स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

(i) फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम एक माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
- फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा एवं माथा किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- यदि आवेदक चश्मा पहनता है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकता है लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
- फोटोग्राफ छवि: (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)
- आयाम (Dimensions) 200 • 230 पिक्सेल (Pixel)
- फाइल का साईज 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- स्कैन की गई फोटो का साईज 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(ii) फोटोग्राफ कैप्चर (Photo Capture) :-

उपरोक्त फोटोग्राफ के अलावा, अभ्यर्थी को वेबकैम या मोबाइल फोन का उपयोग करके अपनी लाइव तस्वीर भी खींचकर अपलोड करनी होगी।

- अभ्यर्थी द्वारा कैप्चर फोटो का ऑप्शन क्लिक करने पर वेबकैम सक्रिय हो जायेगा जिसे अभ्यर्थी अपनी तस्वीर क्लिक कर सकेंगे और वह आवेदन पत्र में स्वतः ही अपलोड हो जायेगी।
- “स्कैन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” (Click here for Scan) विकल्प चुनने पर, अभ्यर्थी अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके क्यूआर कोड (QR Code) स्कैन कर सकते हैं, जो उन्हें एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट (Redirecting) करेगा, जिससे वे अपने मोबाइल फोन से फोटो क्लिक कर सकेंगे। ली गई फोटो का चयन करने पर, फोटो आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगी।
- फोटो कैप्चर के लिए क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- सुनिश्चित करें कि तस्वीर हल्के रंग की, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि पर ली गई हो और पर्याप्त रोशनी हो।
- वेबकैम/कैमरे की ओर सीधे देखें।
- फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए।

क्या न करें:

- छोटे आकार का फोटो न क्लिक करें/अपलोड करें।
- रंगीन चश्मा या धूप का चश्मा/टोपी न पहनें।
- चेहरे पर छाया/कैमरे की ओर न होना/ विकृत चेहरा/मास्क से ढका चेहरा/धुंधली छवि।
- फोटो अंधेरे/अनुचित पृष्ठभूमि में न लिया गया हो।

16. हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किये गये हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
- आयाम (Dimensions) 140 • 60 पिक्सेल (Pixel)
- फाइल का साईज 10 के.बी. से 20 के.बी. तक होना चाहिए।
- हस्ताक्षर का स्कैन इमेज साईज 20 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. बाएँ अंगूठे का निशान स्कैन (Left Thumb impression) को अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- a) आवेदक को सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएँ अंगूठे का निशान लगाना होगा।
- b) फाइल प्रकार: jpg/ jpeg
- c) आयाम (Dimensions) 240 • 240 पिक्सेल (Pixel), 200 DPI (आवश्यक गुणवत्ता के लिए उपयुक्त) अर्थात 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * ऊँचाई)
- d) फाइल आकार: 20 KB – 50 KB

18. हस्तलिखित घोषणा चित्र को अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- a) आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में निम्नलिखित घोषणा लिखनी होगी:-
"I,(Name of Candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."
- b) फाइल प्रकार: jpg/ jpeg
- c) आयाम (Dimensions) 800 x 400 पिक्सेल (Pixel), 200 DPI (आवश्यक गुणवत्ता के लिए उपयुक्त) अर्थात 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * ऊँचाई)
- d) फाइल आकार: 50 KB – 100 KB

नोट:-

- a) हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं।
- b) बड़े अक्षरों (Capital Letters) में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

19. दस्तावेजों को स्कैन करना :-

- a) स्कैनर का रिजॉल्यूशन कम से कम 200 dpi (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।
- b) रंग को टू कलर पर सेट करें।
- c) फाइल का आकार ऊपर बताए अनुसार रखें।
- d) स्कैनर में छवि को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएँ अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर छवि को अंतिम आकार (ऊपर बताए अनुसार) में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें।
- e) छवि फाइल JPG or JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक उदाहरण फाइल का नाम है: image01.jpg or image01.jpeg. फोल्डर फाइलों को सूचीबद्ध करके या फाइल छवि आइकन पर माउस ले जाकर छवि के आयामों की जाँच की जा सकती है।
- f) MS Windows/MsOffice का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी MS Paint or MSOffice Picture Manager का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारूप में दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रारूप में स्कैन किए गए दस्तावेजों को फाइल मेनू में *Save As* विकल्प का उपयोग करके .jpg/.jpeg प्रारूप में सहेजा जा सकता है। क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके आकार को समायोजित किया जा सकता है।

20. दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया :-

- a) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, अभ्यर्थी को फोटो, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक दिए जाएँगे।
- b) "फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड करें/बाएँ अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें" संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- c) उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहाँ स्कैन की गई फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएँ अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा फाइल सहेजी गई है।
- d) उस पर क्लिक करके फाइल का चयन करें।

- e) 'खोलें/अपलोड करें' पर क्लिक करें।
- f) यदि फाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- g) अपलोड की गई छवि का पूर्वावलोकन छवि की गुणवत्ता देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धुंधले होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के लिए पुनः अपलोड किया जा सकता है।
- h) जब तक आप निर्दिष्ट अनुसार अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र अपलोड नहीं करते, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा।

नोट:-

- a) यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणापत्र में चेहरा अस्पष्ट/धुंधला है, तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- b) ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणापत्र अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थी को यह जांच कर लेनी चाहिए कि चित्र स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणापत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन संपादित (Edit) कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने से पहले अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणापत्र पुनः अपलोड कर सकते हैं।
- c) अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटोग्राफ के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं। यदि फोटोग्राफ के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किए गए हैं, तो अभ्यर्थी के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- d) अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो आवश्यक आकार की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
- e) यदि फोटो अपलोड करने की जगह पर फोटो अपलोड नहीं की जाती है, तो आवेदन को अस्वीकृत/अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- f) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों।
- g) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम द्वारा जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले।

(10) अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- 1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा इत्यादि संबंधी सूचना SMS/E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 2) अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर ही रीको द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- 3) अभ्यर्थी रीको द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम तिथि का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए रीको जिम्मेदार नहीं होगा अपितु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इसलिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही गलती होने पर उन्हें सुधारते हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही अभ्यर्थी को यह भी हिदायत दी जाती है कि अभ्यर्थी अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो अभ्यर्थी स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के द्वारा की गयी गलती या लापरवाही के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

- 5) गलत श्रेणी में आवेदन करने पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र रीको द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- 6) रीको द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- 7) अभ्यर्थी जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक रीको की वेबसाइट पर पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को रीको द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। **आवेदन का अभिप्राय यह नहीं है कि रीको द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ रीको द्वारा सही मान ली गई हैं।** रीको द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी।

अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की मूल एवं स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ रीको में प्रस्तुत करना होगा।

- 8) ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता) वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता) वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात्/प्रत्येक चरण की परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो अभ्यर्थी/आवेदिका विकलांग/विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता) हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता) वर्ग का लाभ लेने हेतु रीको को नियुक्ति हेतु बनायी गयी ईमेल आईडी recruitment@riico.co.in पर मय दस्तावेजात सूचित करना होगा तथा अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता) श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि तलाकशुदा (परित्यक्ता) अभ्यर्थी का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो तलाकशुदा (परित्यक्ता) श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता) श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता) श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 9) अभ्यर्थी उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित न्यूनतम व उच्चतम आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता को रीको द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक योग्यता होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

(11) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी।
2. अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (Claim) करते हैं, रीको अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
3. किसी भी अभ्यर्थी को सम्पूर्ण प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।
4. परीक्षा का परिणाम रीको की अधिकृत वेबसाइट www.riico.rajabasthan.gov.in पर अपलोड करके संसूचित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।

(12) नियुक्ति के लिए अयोग्यता :-

1. यदि किसी अभ्यर्थी को केन्द्र/राज्य की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे रीको द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
2. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि रीको संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसे विशेष आधार है।
3. किसी भी महिला अभ्यर्थी को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि रीको संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए उसे विशेष आधार है।
4. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
5. स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 (1961 का 28वां केन्द्रीय अधिनियम) में है।
6. राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
7. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे अभ्यर्थी जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम तिथि तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पायेंगे।
8. ऐसे अभ्यर्थी जो धूम्रपान एवं गुटखा सेवन करते हैं, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(13) प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

अभ्यर्थी को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता) का लाभ तब ही देय होगा जब मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं जो आवेदन-पत्र भर जाने की अंतिम दिनांक से 6 महीने पहले के न हो।
3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम तिथि से पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र

दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा जो आवेदनभरने की अंतिम तिथि से 6 महीने पहले के न हो
8. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी यथा/जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति, आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो) एवं अन्यादि के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र की अन्तिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें पति का नाम अंकित (यथा-राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा तलाकशुदा (परित्यक्ता) श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री परीक्षा का मूल परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।
9. अभ्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.04.2007 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 01.04.2007 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्तर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तान पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी, परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता) श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता) श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को चरित्र प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हों।
13. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें अभ्यर्थी के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे रीको सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
14. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि अभ्यर्थी पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं रीको सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
15. अभ्यर्थी जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए अभ्यर्थियों हेतु रीको की वेबसाइट पर जारी परीक्षा से संबंधित नवीनतम निर्देशों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना आवेदन-पत्र में पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि रीको द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच, संबंधित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार रीको का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी जिसके संबंध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहां यह उल्लेखनीय है कि रीको द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी अभ्यर्थी/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण अभ्यर्थी को ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र रीको द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा। अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा-भत्ता अथवा दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :-

परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन रीको की वेबसाइट www.riico.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सूचना/स्पष्टीकरण हेतु हेल्पलाईन ई-मेल recruitment@riico.co.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सलाहकार (ए.एण्ड एम.)
रीको